

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अह
हुकम को
में जारी हुए

13-12-19

पन्नावली चेथ हुकम वकील गार्थी उप
आदेश सुनाया गया सुपर्व का गार्थी
पत्र स्वीकार किया जाता है कि सुपर्व
निर्णय सुपर्व से लीववाया अक्ट
व्यापक पन्नावली किया गया पन्नावली
किमल बुधार् अक्ट दारखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला कुन्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 25/2017

पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :- 18.07.2017

जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. मन्दिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन (शा.ना.) जरिये हितेंषी जागिरदार महाराजा विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री शिव नन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

- प्रार्थी -

बनाम

1. रामसहाय आत्मज सुवालाल जाति मीना निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

- अप्रार्थीगण -


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपरिथत :- श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक :- 13.12.2019

प्रार्थी मन्दिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन (शा.ना.) जरिये हितेंषी जागिरदार महाराजा विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री शिव नन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 29 के खसरा नं0 134 रकबा 1.60 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को ज्वारा काशत पर देकर प्राप्त आय में मन्दिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी महाराज की सेवा पूजा भोग प्रसादी की व्यवस्था में खर्च किया जाता है। मन्दिर मूर्ति भूमि पर कैलाश नें ज्वारा काशत पर लेकर कब्जा कर लिया। जिसको बेदखल कराने के लिये न्यायालय में दावा संख्या 5/2012 किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2013 को आदेश पारित कर बेदखल करने की डिक्री पारित की गई। इस पर न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार साहब इन्द्रगढ के द्वारा दिनांक 23.06.2014 को मोकें पर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा मन्दिर मूर्ति के हक में व्यवस्थापक को सम्भला दिया था। उसके पश्चात उक्त कृषि भूमि पर किसी का कोई कब्जा शेष नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर सरसों की फसल कटने के पश्चात दिनांक 15.04.2017 को जमीन हाकने जाने पर अप्रार्थी प्रार्थी के ट्रेक्टर के आडे फिर गया और कृषि भूमि पर कब्जा करने एवं प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी गई। अप्रार्थी को ऐसा कहने एवं करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित है और सुविधा


उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो मन्दिर मूर्ति के हितों को अपूर्ण क्षति होगी और मन्दिर में सेवा पूजा भोग प्रसादी की व्यवस्था में परेशानी आयेगी। मन्दिर मूर्ति के समय समय पर होने वाले धार्मिक आयोजन कार्यक्रम प्रभावित होंगे एवं मन्दिर के आय के स्रोत बन्द हो जायेंगे। जिससे धार्मिक भावना आहत होंगी। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की व्यवस्था में दखल नहीं देने, ऐसा ना तों स्वयं करने ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से कराने हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्गे नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामील दिनांक 24.11.2017 को अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी की ओर से दिनांक 09.08.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद के निस्तारण में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। और प्रार्थी को अप्रार्थी फसल काश्त में नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर तहसीलदार इन्द्रगढ रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 29 खसरा संख्या 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मे स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर मूर्ति कृष्ण गोपाल के खाते में दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा करने की धमकी दी गई। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से स्वयं काश्त करने में असमर्थ है। उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को रिसीवर नियुक्त किया जावें।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नं0 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ राजस्व रिकार्ड के अनुसार मन्दिर मूर्ति कृष्ण गोपाल जी के नाम खाते में दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। जिनके अभाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी मन्दिर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ के सम्बन्ध में तहसीलदार इन्द्रगढ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा रिसीवर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर ज्वारा काश्त बाबत आम बोली लगवाई जाकर काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एवं आय-व्यय का पूर्ण विवरण प्रति कृषि वर्ष बाबत हिसाब किताब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। तहसीलदार इन्द्रगढ को इस सम्बन्ध में मय निर्णय प्रति तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
लाखरी (बून्दी)

का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो मन्दिर मूर्ति के हितों को अपूर्णतः क्षति होगी और मन्दिर में सेवा पूजा भोग प्रसादी की व्यवस्था में परेशानी आयेगी। मन्दिर मूर्ति के समय समय पर होने वाले धार्मिक आयोजन कार्यक्रम प्रभावित होंगे एवं मन्दिर के आय के स्रोत बन्द हो जायेंगे। जिससे धार्मिक भावना आहत होंगी। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की व्यवस्था में दखल नहीं देने, ऐसा ना तों स्वयं करने ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से कराने हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ज नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामील दिनांक 24.11.2017 को अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी की ओर से दिनांक 09.08.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद के निस्तारण में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। और प्रार्थी को अप्रार्थी फसल काश्त में नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर तहसीलदार इन्द्रगढ रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 29 खसरा संख्या 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मे स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर मूर्ति कृष्ण गोपाल के खाते में दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा करने की धमकी दी गई। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से स्वयं काश्त करने में असमर्थ है। उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नं० 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ राजस्व रिकार्ड के अनुसार मन्दिर मूर्ति कृष्ण गोपाल जी के नाम खाते में दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। जिनके अभाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी मन्दिर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर खसरा नं० 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ के सम्बन्ध में तहसीलदार इन्द्रगढ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा रिसीवर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर ज्वारा काश्त बाबत आम बोली लगवाई जाकर काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एवं आय-व्यय का पूर्ण विवरण प्रति कृषि वर्ष बाबत हिसाब किताब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। तहसीलदार इन्द्रगढ को इस सम्बन्ध में मय निर्णय प्रति तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
लाखरी (बून्दी)